(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक एक/निगरानी/दमोह/भू रा./2017/2650 – विरूद्व आदेश दिनांक 26–7–2017 – पारित व्दारा – कलेक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, दमोह – प्र0क0 श.लि./2017/3086

प्रशॉत बांझल जैन पुत्र नित्यानन्द बांझल जैन
सरकारी अस्पताल के सामने, पथरिया
तहसील पथरिया जिला दमोह,म0प्र0 ----आवेदक

विरूद्व

1– अनिल कुमार जैन 2– संजय जैन पुत्रगण विजयकुमार जैन
निवासी स्टेट बैंक के के वगल में पथरिया जिला दमोह
3– कल्पना जैन जोजे राजकुमार जैन
निवासी टंडन वगीचा दमोह जिला दमोह
4– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर दमोह ----असल अनावेदकगण
5– टेरेटरी मैनेजर (रिटेल) भारत पैट्रोलियम
कार्पो0लिमि0जबलपुर व्दारा ग्राम पथरिया
तहसील/व्लाक पथरिया जिला दमोह ----फार्मल अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)
(अनावेदक कं. 1 से 3 के अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी)
(अनावेदक कं. 4 के पैनल लायर अनुपस्थित)

आ दे श
(आज दिनांक 7 –9– 2017 को पारित)

जिला मजिस्ट्रेट, दमोह के प्रकरण कमांक श.लि./2017/3086 में जारी अनापत्ति दिनांक 27–7–17 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई थी, किन्तु आवेदक के अभिभाषक की मांग पर अपील को संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी में परिवर्तित कर सुनवाई की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनिल कुमार जैन , संजय जैन, कल्पना जैन के नाम ग्राम पथरिया में भूमि सर्वे कमांक 14/10, 14/12 है। निगरानीकर्ता व्दारा निगरानी इन आधारों पर की गई है कि अनिल कुमार जैन ने सर्वे नं. 14/10 एंव 14/12 में कुल

रकबा 0.40 हैक्टर भूमि होना बताई है जबकि खसरा नंबर 14/10 में 0.11 आरे भूमि है भू अधिकार, ऋण पुस्तिका में छेड़छाड़ करके 0.011 रकबे को 0.012 है. बता दिया, जबकि खसरे में सर्वे नंबर 14/10 का रकबा 0.11 है. है एंव समीप की शासकीय भूमि में तार फेंसिंग करके 0.11 के स्थान रकबा 0.12 करवा लिया है। वास्तव में अभिलेख अनुसार अनिल कुमार जैन की भूमि 60 फीट गहराई में है एंव कय किये दस्तावेजों से इतनी ही भूमि है। इस प्रकार अनावेदक कमांक 1 से 3 ने अनावेदक कमांक 5 को कूटरचित दस्तावेज उपलब्ध कराकर जिला मजिस्ट्रेट दमोह को अनापत्ति आवेदन लगवा दिया तथा मजिस्ट्रेट दमोह दमोह ने वास्तविकता की जॉच किये बिना एंव भूमि के मूल अभिलेख को देखे बिना अनापत्ति दिनांक 27–7–17 जारी की है इसलिये जालसाजी करके कराये गये नामान्तरण एंव जालसाजी पर आधारित दस्तावेजों के माध्यम से मजिस्ट्रेट दमोह से कपट करके अनुज्ञप्ति दिनांक 27–7–17 प्राप्त की गई है जिसे निरस्त करने की मांग करते हुये यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ बहस के पूर्व आवेदक के अभिभाषक ने म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के आवेदन के साथ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिनकी प्रति अनावेदकगण के अभिभाषक को दिलाई गई। इसी आवेदन के साथ अन्य आवेदन प्रस्तुत कर टेरेटरी मैनेजर (रिटेल) भारत पैट्रोलियम कार्पो0लिमि0जबलपुर व्दारा ग्राम पथरिया तहसील/व्लाक पथरिया जिला दमोह को फार्मल पक्षकार बनाये जाने वावत् प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया गया। अनावेदकगण के अभिभाषक ने आपत्ति की है कि आवेदक की ओर से निगरानी प्रकरण में संहिता की धारा 32 का आवेदन दिया है जो विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करना थे इसलिये दस्तावेज ग्राह्य योग्य नहीं है एंव विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में प्रचलन–योग्य नहीं है इसलिये निरस्त की जाय। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि भू अधिकार, ऋण पुस्तिका में छेड़छाड़ करके खसरे में सर्वे नंबर 14/10 का रकबा 0.011 है. है समीप की शासकीय भूमि में तार फेंसिंग करके 0.11 के स्थान रकबा 0.012 करवाया गया है। वास्तव में अभिलेख अनुसार अनिल कुमार जैन की भूमि 60 फीट गहराई में है जो 18.28 मीटर है कय किये दस्तावेजों से इतनी ही भूमि है रकबा 0.012 अपलेखन कर बड़ाया गया है। इसलिये राजस्व मण्डल में निगरानी श्रवण योग्य है।

5/ निगरानी में अंकित तथ्यों पर मजिस्ट्रेट दमोह से वास्तविक स्थिति पर प्रतिवेदन कमांक क/श.लि./2017/3478 दिनांक 18–8–2017 प्राप्त किया गया , जिसमें वाद विचारित भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :'–

" श्री अनिल जैन के व्दारा जो पैट्रोल पंप स्थापित किया जा रहा है वह ख.नं. 14/10 एंव 14/12 कुल रकबा 0.40 है. अर्थात 66x66 वर्गफुट में किया जा रहा है जिसके संदर्भ में अनापत्ति देने के पूर्व इस कार्यालय व्दारा विस्तार पूर्वक जांच अनुविभागीय अधिकारी(रा) पथरिया के व्दारा कराई गई और जांच उपरांत ही इस तथ्य से संतुष्ट होकर कि श्री अनिलकुमार जैन अपने स्वतः के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 14/10 एंव 14/12 पर ही निर्माण कराना चाहते है। शासकीय भूमि अथवा किसी अन्य की भूमि पर अतिकमण नहीं कर हैं, तभी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ख.नं. 14/10 एंव 14/12 के ख.न. उत्तर तरफ ख.नं. 14/1 श्री संतोष हजारी के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। ख.नं. 14/10 और 14/12 की भूमि से लगकर छात्रावास की भूमि नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र में पेट्रोलियम अधिनियम 2002 के नियम 144 के अंतर्गत अधिरोपित शर्तो के आधार पर जारी किया गया है । "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी वास्तविक आधारों पर आधारित नहीं है। जहां तक विक्रय पत्र से हटकर रकबा बढ़ाने व नामांत्रण कराने का प्रश्न है आवेदक ऐसी कार्यवाही के विरूद्व सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। अनापत्ति प्रमाण पत्र में पेट्रोलियम अधिनियम 2002 के नियम 144 के अंतर्गत जारी की गई है जिसके कारण इस अधिनियम में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के विरूद्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रचलन–योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर